विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 31 मई, 2011 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 46वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की छियालिसवीं (46वीं) बैठक डॉ. राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 31 मई, 2011 को पूर्वाहन 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 584 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 381 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार, एसईजेड में 2,02,809.54 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 6,76,608 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान, एसईजेड से 3,15,867.85 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2009-10 के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 43.11 प्रतिशत अधिक है।

मद संख्या 46.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) ग्राम पुथेनक्रुज, कुन्नाथुनाडु तालुक, एर्नाकुलम जिला तथा ग्राम कक्कानाड, कनायानूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में 46.3773 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

विकास आयुक्त, कोचीन ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि विकासक ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया है। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(ii) 12.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गामनगट्टी, होबली तालुक, धारवाड़ जिला, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। कर्नाटक सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 18 मार्च, 2011 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 12.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गामनगट्टी, होबली तालुक, धारवाड़ जिला, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। (टिप्पणी : इसके बाद गृह मंत्रालय से यह संचार प्राप्त हुआ कि उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा सकती है। तद्नुसार अनुमोदन जारी करने के मुद्दे को रोक दिया गया)।

(iii) ग्राम बी एम कवाल एवं राचनमाडु, केंगेरी होबली, बंगलौर, कर्नाटक में 12.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के मैसर्स भुवन कम्फर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। कर्नाटक सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 2012 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तथापि, विकास आयुक्त, कोचीन एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि वे अपनी टिप्पणियां प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि प्रस्ताव उनके माध्यम से नहीं भेजा गया है। अनुमोदन बोर्ड ने अगली बैठक से पूर्व टिप्पणियों के लिए विकास आयुक्त को परियोजना प्रस्ताव की प्रति अग्रेषित करने का निदेश दिया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।"

मद संख्या 46.2 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार / सह विकासक करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है।

(i) चेयूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु सेवा एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स मार्ग डिजीटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

नोट किया गया कि बेयर शेल बिल्डिंग को वार्म शेल बिल्डिंग में परिवर्तित करने के लिए एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 3.114 हेक्टेयर के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यद्यपि एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली किसी सह विकासक को यूनिट के रूप में भी प्रचालन करने से नहीं रोकते हैं परंतु ऐसे मामले हो सकते हैं जहां क्षेत्र का विकास करने के बाद स्वयं सह विकासक यूनिट के रूप में इस प्रकार विकसित स्थान का पर्याप्त हिस्से पर कब्जा कर ले। हालांकि यूनिट तथा सह विकासक से अलग खाते रखने की आवश्यकता होती है परंतु ऐसी व्यवस्था में सकारात्मक एनएफई की यूनिट की बाध्यता को मुक्त करने के लिए यूनिट द्वारा खरीदे गए पूंजी माल को सह विकासक पर लोड करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने स्वीकार किया कि ऐसी व्यवस्था तैयार करने की आवश्यकता है जिससे सुनिश्चित हो सकता है कि यूनिट तथा सह विकासक के कार्य पर्याप्त रूप से अलग हैं ताकि डबल डिपिंग से बचा जा सके जिससे राजस्व की संभावित क्षति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने ऐसी व्यवस्था तैयार करने के लिए सदस्य के रूप में सीबीडीटी और सीबीईसी के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त सचिव (एसईजेड), वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निदेश दिया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(ii) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा पुथव्यपीन, केरल में विकसित पोर्ट आधारित एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के लिए भंडारण की सुविधाओं के विकास, इंटरकनेक्टिंग पाइप लाइन बिछाने और एक इनलैंड एलपीजी कंटेनर टैंकर स्टेशन की स्थापना के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(iii) मैसर्स फिनिक्स इंफो सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स हैदराबाद इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

नोट किया गया कि अपेक्षित इंटीरियर, अवसंरचना आदि में निवेश तथा विकास के लिए 1.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि हालांकि एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली यूनिट के रूप में भी प्रचालन करने के लिए सह विकासक पर रोक नहीं लगता हैं परंतु ऐसे मामले हो सकते हैं जहां क्षेत्र का विकास करने के बाद स्वयं विकासक यूनिट के रूप में इस प्रकार विकसित स्थान के पर्याप्त भाग पर कब्जा कर ले। हालांकि यूनिट तथा सह विकासक से अलग खाते रखने की आवश्यकता होती है परंतु ऐसी व्यवस्था में सकारात्मक एनएफई की यूनिट की बाध्यता को मुक्त करने के लिए यूनिट द्वारा खरीदे गए पूंजी माल को सह विकासक पर लोड करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने स्वीकार किया कि ऐसी व्यवस्था तैयार करने की आवश्यकता है जिससे सुनिश्चित हो सकता है कि यूनिट तथा सह विकासक के कार्य पर्याप्त रूप से अलग हैं ताकि डबल डिपिंग से बचा जा सके जिससे राजस्व की संभावित क्षति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने ऐसी व्यवस्था तैयार करने के लिए सदस्य के रूप में सीबीडीटी और सीबीईसी के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त सचिव (एसईजेड), वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निदेश दिया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(iv) वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय (पीडीपीयू) का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि उक्त विश्वविद्यालय का स्वामित्व निजी हाथों में है और इस बात का कोई पर्याप्त औचित्य नहीं है कि क्यों पीडीपीयू एसईजेड के अंदर सेंटर स्थापित करना चाहता है। तद्नुसार राजस्व विभाग ने सिफारिश की कि इस प्रस्ताव को अनुमत नहीं किया जा सकता है। विकास आयुक्त, केएसईजेड से उक्त प्रस्ताव के लिए पूर्ण औचित्य प्रदान करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(v) मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स माइटेक सॉफ्टवेयर (प्राइवेट) लिमिटेड का अनुरोध

नोट किया गया कि 1.30 एकड़ के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यद्यपि एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली किसी सह विकासक को यूनिट के रूप में भी प्रचालन करने से नहीं रोकते हैं परंतु ऐसे मामले हो सकते हैं जहां क्षेत्र का विकास करने के बाद स्वयं सह विकासक यूनिट के रूप में इस प्रकार विकसित स्थान का पर्याप्त हिस्से पर कब्जा कर ले। हालांकि यूनिट तथा सह विकासक से अलग खाते रखने की आवश्यकता होती है परंतु ऐसी व्यवस्था में सकारात्मक एनएफई की यूनिट की बाध्यता को मुक्त करने के लिए यूनिट द्वारा खरीदे गए पूंजी माल को सह विकासक पर लोड करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने स्वीकार किया कि ऐसी व्यवस्था तैयार करने की आवश्यकता है जिससे सुनिश्चित हो सकता है कि यूनिट तथा सह विकासक के कार्य पर्याप्त रूप से अलग हैं ताकि डबल डिपिंग से बचा जा सके जिससे राजस्व की संभावित क्षति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने ऐसी व्यवस्था तैयार करने के लिए सदस्य के रूप में सीबीडीटी और सीबीईसी के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त सचिव (एसईजेड), वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निदेश दिया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(vi) शोलिंगानल्लूर, चेन्नई, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 8 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि पट्टा करार को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप दिया जाए।

मद संख्या 46.3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों के प्रस्तावों पर विचार किया तथा स्पष्ट किया जाता है कि अधिकृत प्रचालनों के लिए सभी अनुमोदन 24 अक्टूबर, 2008 को आयोजित ईजीओएम बैठक द्वारा अनुमोदित विकास दिशानिर्देश के अधीन हैं जिन्हें 8 दिसंबर, 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा नोट किया गया। तद्नुसार, विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

(i) कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद सारणी में प्रदान किए गए ब्यौरे के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि विकास आयुक्त प्रमाणित करेंगे कि अधिकृत प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र से उत्पन्न आवश्यकता के अनुपात में हैं :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा		अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
		यूनिटों की संख्या	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	फेंडर, बोलार्ड क्रेन रेल के साथ शोर के समानांतर कंटेनर बर्थ	3	73525	73525
2.	कंटेनर फ्रेट स्टेशन	1	102000	102000
3.	ओपन स्टाक यार्ड	1	180000	180000
4.	कार स्टाक यार्ड	1	30000	30000
5.	अन्य बर्थ	2	50000	50000
6.	गेट कम्प्लेक्स एंट्री एवं एग्जिट	1	3000	3000
7.	शोर प्रोटेक्शन बंड	1	12500	12500
8.	ब्रेकवाटर और बर्थ के बीच कनेक्टिंग प्लेटफार्म	1	2000	2000
9.	कंट्रोल टावर, पंप हाउस, टिपिकल सिक्योरिटी, पीएंडएम वर्कशाप के लिए यूटिलिटी बिल्डिंग	7	7150	7150
10.	अन्य यूटिलिटी - ईंधन का सब स्टेशन, क्वे, रिसीविंग यार्ड तथा वर्कशाप पार्किंग बे, तुला सेतु, पार्किंग एरिया, वाटर टैंक और वाशिंग एरिया	9	26,000	26,000
11.	आंतरिक संपर्क के लिए सुविधाएं (किलोमीटर में)	1	30 किलोमीटर	30 किलोमीटर

(ii) वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे सारणी में उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

			अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	
1.	हेलीपैड	1	एनए	44.3 मीटर x 44.3 मीटर

(iii) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) ग्राम भोंडसी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स गोल्डसॉक इंटरनेशनल जेम्स एंड ज्वैलरी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त (iii) और (iv) में विकास आयुक्त, एनएसईजेड को एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र की गतिविधियों में सहायता के लिए आवश्यक प्रस्तावित सुविधाओं की वास्तविक आवश्यकता का सुनिश्चय करने तथा इस बात का भी पता लगाने का निदेश दिया गया कि इनका किस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाएगा और अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। लोकेशन मैप भी प्रदान किया जाएगा। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।"

मद संख्या 46.4 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम एवं मंडल कंडुकुर, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.0964 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एस2टेक.कॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम एवं मंडल कंडुकुर, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.0964 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एस2टेक.कॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(ii) खापरदा, जोधपुर, राजस्थान में 120.689 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हस्तशिल्प के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स मानसरोवर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने खापरदा, जोधपुर, राजस्थान में 120.689 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हस्तशिल्प के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स मानसरोवर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(iii) 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तोटलाकोंडा हिल्स, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (एससीएसएल) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने तोटलाकोंडा हिल्स, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (एससीएसएल) के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं। इसके अलावा अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि एसईजेड के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई भूमि को पुन: आवंटित करने के मामले को मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार के साथ उठाया जा सकता है।

(iv) अतिरिक्त यवतमाल एमआईडीसी क्षेत्र, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र में 208 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अतिरिक्त यवतमाल एमआईडीसी क्षेत्र, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र में 208 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 46.5 : अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) येदशी, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र में चमड़ा उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 2 जुलाई, 2008 को समाप्त हो चुकी है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में येदशी, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र में चमड़ा उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा कलवारा गांव, सांगनेर तहसील, जयपुर जिला, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इनफिनिटी जयपुर नालेज सिटी प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स इनफिनिटी जयपुर नालेज सिटी प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा कलवारा गांव, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए गए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, के अनुरोध को विकास आयुक्त द्वारा इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि सह विकासक ने एसईजेड योजना के अंतर्गत प्राप्त किए गए सभी लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 46.6 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) गंगईकोंडन गांव, तिरुनवेली जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में 76.893 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि के लिए इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 117.37 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने के अधीन है।

(ii) चंडाक औद्योगिक संपदा, पीएस चंद्रशेखरपुर, तहसील भुवनेश्वर, जिला खुर्दा, उड़ीसा में अधिसूचित आईटी एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए उड़ीसा औद्योगिक अवंसरचना विकास निगम (इडको) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड से 10.10 हेक्टेयर के विमुक्तीकरण के लिए उड़ीसा औद्योगिक अवंसरचना विकास निगम (इडको) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 59.05 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्रफल के संबंध में एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 46.7 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 15 विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) दुर्गापुर, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बंगाल शपूरजी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) हल्दिया, पश्चिम बंगाल में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (एचएफटीडब्ल्यूपीएल) का अनुरोध

(iii) ग्राम जागीर अम्मापालायम, सलेम तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

(iv) वाडापालनजी गांव, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

(v) विश्वनाथपुरम गांव, होसुर तालुक, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

नवलपट्टू गांव, त्रिचिरापल्ली तालुक, त्रिचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

(vii) इलांदैकुलम गांव, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

(viii) केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, हासन विकास केंद्र, तालुक एवं जिला हासन, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 23 सितंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स ऑप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ix) प्लाट नंबर 001, सेक्टर 140ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सर्व मंगल रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(x) राजस्व गांव बाबरा बंकीपुर, तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अप्रैल, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स वेलग्रो बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xi) भोंड़सी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स गोल्डसौक इंटरनेशनल जेमस् एंड ज्वैलरी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xii) कल्याणगध और गंगड गांव, बावला तालुक, अहमदाबाद जिला, गुजरात में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 अप्रैल, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स दिशमन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

(xiii) पावला खुशरूपुर गांव, सेक्टर 106, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एयरमिड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

(xiv) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 मार्च, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

(xv) आदिबाटला गांव, इब्राहितपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 जनवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स कॉगनिजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 46.8 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 21 विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) नेदुम्बासेरी और चेंगामनाडु गांव, अलुवा तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(ii) विलानकुरिची, कोयंबटूर उत्तर तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता

अवधि 15 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध

(iii) पुथुवयुपीन, एर्नाकुलम जिला, केरल में पोर्ट आधारित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 अप्रैल, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

(iv) जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शमशाबाद, हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के साथ बहु सेवा (पहले एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध

(v) खोपोली, दहीवाली गांव, खालापुर तालुक, रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स उत्तम गल्वा स्टील लिमिटेड का अनुरोध

(vi) खोपोली, देवनहावे गांव, खालापुर तालुक, रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स उत्तम गल्वा स्टील लिमिटेड का अनुरोध

(vii) आरासुर गांव, पल्लाडम तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ड्रू डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) कल्लाहल्ली और कतवाडीपुरा गांव, नंजनगुड तालुक, जिला मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ऑप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ix) टिकरी गांव, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनिटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

(x) शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

(xi) शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा (मूलत: जैव प्रौद्योगिकी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता

अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

(xii) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनिटेक इंफ्राकॉन लिमिटेड का अनुरोध

(xiii) कोकापेट गांव, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला,आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण का अनुरोध

(xiv) सावली गांव, वडोदरा जिला, गुजरात में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 जून, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) का अनुरोध

(xv) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-ए के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xvi) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-बी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xvii) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-सी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 नवंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xviii) नारीवली गांव, तालुक एवं जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 मई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स लोधा ड्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xix) गोपालपुर, गंजम जिला, उड़ीसा में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध यह इस शर्त के अधीन था कि विकास आयुक्त एसईजेड के अनुरोध की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(xx) ग्राम मुसलगांव तथा गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

(xxi) गुड़गांव, हरियाणा में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 जून, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड (आरएचएसएल) का अनुरोध

मद संख्या 46.9 : औपचारिक अनुमोदनों की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 08 विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 23 अगस्त, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स नीट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

(iii) ग्राम सिकोहपुर, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 अप्रैल, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स लक्सर साइबर सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 अगस्त, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) ग्राम ओवाले, चोडबंडर रोड, जिला थाणे, महाराष्ट में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2010 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का अनुरोध

(vi) फरीदाबाद रोड, गुड़गांव, हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vii) गुड़गांव, हरियाणा में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 अगस्त, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ओरिएंट क्राफ्ट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

(viii) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ब्राह्मनी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि मैसर्स बंगाल शपूरजी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में अवधि बढ़ाने के अनुरोध को वापस ले लिया गया है क्योंकि विकासक ने एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है।

"तथापि अनुमोदन बोर्ड ने इस बात को ध्यान में रखा कि विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने गुड़गांव, हरियाणा में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 2 अप्रैल 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स उप्पल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया है।"

मद संख्या 46.10 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रत्येक मामले में उल्लिखित तारीख तक निम्नलिखित 6 प्रस्तावों में दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाई :

(i) ग्राम खैतर, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स तिरुनेलवेली इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (26 फरवरी 2012 तक)

(ii) ग्राम वंजोर, तिरुपट्टिनम कम्यून, करेकल जिला, पांडिचेरी में 243.506 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स करेकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (26 फरवरी 2012 तक)

(iii) कृष्णगिरि जिला, तमिलनाडु में 1182.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स ट्रैक टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड (26 फरवरी 2012 तक)

(iv) ग्राम तालोशी, तालुक इगतपुरी, जिला नासिक, महाराष्ट्र में 106.755 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विशिष्ट बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स महाराजा मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड (17 जून 2012 तक)

(v) अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 1032 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स लीपाक्षी नालेज हब प्राइवेट लिमिटेड (26 फरवरी 2012 तक)

(vi) खोपटा, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 5000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मुंबई एसईजेड लिमिटेड (7 अगस्त 2012 तक)

मद संख्या 46.11 : नासिक, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स नासिक मल्टी सर्विसेज एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

नोट किया गया कि दूसरी बार बढ़ाई गई अवधि 25 जून 2010 को समाप्त हो गई है, इसलिए 25 जून 2011 तक तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने की आवश्यकता थी। चूंकि यह तारीख भी बहुत करीब है, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने एक साथ तीसरी और चौथी बार अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान की तथा 25 जून 2012 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 46.12 : संस्पर्श में छूट

(i) संस्पर्श तथा अनेक प्रवेश / निकास द्वारों के संबंध में एलओए की शर्तों में ढील देने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड (एनएसईजेड) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड (एनएसईजेड) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया गया। राजस्व विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने समुचित मूल्यांकन के लिए एनएसईजेड के संशोधित प्रस्ताव की जांच करने के लिए संयुक्त सचिव (एडब्ल्यू) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निदेश दिया। समिति में विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, डीजीईपी, सीबीडीटी के प्रतिनिधि तथा मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई शामिल होंगे। समिति 5 प्रस्तावित एसईजेड में से प्रत्येक के सन्निकटता का मुद्दा सहित संशोधित परियोजना से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करेगी।

मद संख्या 46.13 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) सदाशिवपेट, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित एसईजेड का सेक्टर 'रणनीतिक विनिर्माण' से बदलकर 'इंजीनियरिंग (रणनीतिक विनिर्माण)' करने तथा सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए भी मैसर्स श्री कुबेरा इनफ्राकॉन इंडिया लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मौजूदा सेक्टर को अधिक स्पष्ट करने के लिए विकास आयुक्त, वीएसईजेड के कहने पर सेक्टर में परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद सेक्टर को "रणनीतिक विनिर्माण" से बदलकर 'इंजीनियरिंग (रणनीतिक विनिर्माण)' करने के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

अनुमोदन बोर्ड ने आरंभिक वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए अर्थात 9 मार्च 2012 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाई भी।

मद संख्या 46.14 :

डीटीए यूनिटों के लिए जॉब वर्क आधार पर विनिर्माण का कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स स्पैरो टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड जो श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में सिपकाट द्वारा विकसित किए जा रहे हाइटेक एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि प्रस्ताव में ड्यूटी के मुद्दे शामिल हैं और यह अंदेशा व्यक्त किया कि प्रस्तावित गतिविधियों के माध्यम से यूनिट सकारात्मक एनएफई स्टेटस प्राप्त नहीं कर सकती है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने यूनिट की प्रस्तावित गतिविधियों पर भी आपत्तियां व्यक्त की। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 46.15 : रक्षा ऑफसेट सुरक्षा एजेंसी (डीओएफए) के तहत रक्षा यूनिटों को आपूर्त की जाने वाली मदों को शामिल करने के लिए एलओए की ब्राडबैंडिंग की अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स एसएफओ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो कोचीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन (सीएसईजेड) की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मंजूरी पत्र में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, विद्युत आपूर्ति, केबल और वायर हार्नेस, बॉक्स बिल्ड वायर्ड स्ट्रक्चर, मेटल एन्क्लोजर को शामिल करने के लिए यूनिट के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की ताकि रक्षा ऑफसेट सुगमता एजेंसी (डीओएफए) के तहत रक्षा संगठनों को आपूर्ति की जा सके। अनुमोदन बोर्ड का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(i) विदेश व्यापार नीति तथा आईसीटी (एचएस) कोड के प्रावधानों के अनुसार ऐसी मदों के निर्यात को विनियमित किया जा सकता है।
(ii) डीआईपीपी, रक्षा उत्पादन विभाग तथा गृह मंत्रालय के परामर्श से लाइसेंस की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

मद संख्या 46.16 : अगले 5 साल के लिए मैसर्स इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स डिवीजन (यूनिट 2) जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, के एलओपी के नवीकरण के लिए एनएसईजेड से प्राप्त अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से पांच साल की अवधि के लिए अर्थात 20 मार्च 2011 से 19 मार्च 2016 तक यूनिट के एलओपी को नवीकृत किया।

मद संख्या 46.17 : एसईजेड में एलएनजी लाने और उसे डीटीए में वापस ले जाने के लिए पाइप लाइन के प्रवेश और निकास के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सी2-सी3 प्रोजेक्ट - दाहेज, जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में एलएनजी लाने और उसे वापस डीटीए में पहुंचाने के लिए पाइप लाइन के प्रवेश एवं निकास के लिए अनुरोध को मंजूरी प्रदान की। विकास आयुक्त,

दाहेज को ऐसे प्रचालनों में शामिल लेनदेन पर देय शुल्क से संबंधित मुद्दे की जांच करने तथा इस संबंध में कोई स्वीकार्य रास्ता निकालने का निदेश दिया गया है।

मद संख्या 46.18 : पेट्रो रसायन फीड स्टाक की नेट बिलिंग में डीटीए और एसईजेड के बीच विनिर्माण पीआईबी - पैरिटी के लिए एसईजेड से डीटीए में आपूर्त किए गए एलपीजी (सी4) फीड स्टाक की नेट बिलिंग की अनुमति की अधिसूचना के लिए ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि विकास आयुक्त, दाहेज डीटीए में एलएनजी और उसे वापस एसईजेड में पहुंचाने की प्रक्रिया की जांच करें। नेट बिलिंग के प्रस्ताव की जांच में एचएस कोड आदि के संदर्भ में इनपुट / आउटपुट उत्पाद की प्रकृति, उसका मूल्यांकन तथा ऐसे प्रचालनों में शामिल लेनदेन पर देय शुल्क से संबंधित मुद्दे शामिल हो सकते हैं ताकि इस संबंध में कोई स्वीकार्य रास्ता निकाला जा सके। तद्नुसार, प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 46.19 : प्लास्टिक प्रसंस्करण यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स प्रिसीजन पोलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड जो एफएसईजेड की एक यूनिट है, के एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने वाणिज्य विभाग द्वारा प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिटों के संबंध में नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक अंत:कालीन व्यवस्था के रूप में 15 जुलाई 2011 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 46.20 : एक एसईजेड से यूनिट को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इंफोस्पेस लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रह क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स इंटर ग्लोब टेक्नोलॉजी कोटियंट प्राइवेट लिमिटेड, जो नोएडा एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने मामले की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय प्रदान करने का अनुरोध किया। **तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।**

मद संख्या 46.21 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 03 अप्रैल, 2007 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेडगेल प्राइवेट लिमिटेड जो इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 02 अक्टूबर, 2011 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 15 अक्टूबर, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 15 अक्टूबर, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) 15 अगस्त, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पिडिलाइट इंडस्ट्रियल लिमिटेड (पीआईएल) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 15 अगस्त, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iv) 15 जनवरी, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ऊष्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 15 जनवरी, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 46.22 : पांचवे साल के बाद यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 09 मई, 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स श्री कृष्णा वेल पैक प्राइवेट लिमिटेड जो इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से दो साल की अवधि के लिए अर्थात 9 मई, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 46.23 : निषिद्ध माल (दाल) के आयात / निर्यात तथा निर्यात के लिए डीटीए से प्रतिबंधित मदों के प्रापण के लिए मैसर्स जैब्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम साईं, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र ने मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

चूंकि प्रस्ताव में डीटीए से प्रतिबंधित / निषिद्ध मदों का प्रापण शामिल है, इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

मद संख्या 46.24 : मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा ग्राम साईं, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में दालों के व्यापार के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स हाजी सत्तार हबीब एंड संस का अनुरोध

चूंकि इस संबंध में कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं था कि कोई डीटीए लेनदेन नहीं होगा, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

मद संख्या 46.25 : मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में दालों के व्यापार एवं प्रसंस्करण के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स क्वालिट एग्रो प्रोसेसर्स का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्रस्तावों की ध्यान से जांच करने की आवश्यकता होती है जिसमें दाल जैसी उपभोज्य वस्तुएं शामिल होती हैं ताकि सुनिश्चित हो सके कि ऐसे उत्पादों की घरेलू उपलब्धता प्रभावित न हो। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स क्वालिट एग्री प्रोसेसर्स के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) दालों का आयात भारत के बाहर से किया जाएगा तथा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अंतर्गत दालों के निर्यात पर रोक जारी रहने तक डीटीए से कोई खरीद नहीं की जाएगी।

(ii) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में तंत्र स्थापित किया जाएगा कि यूनिट द्वारा डीटीए से कच्चे माल के प्रापण की कड़ाई से जांच हो।

मद संख्या 46.26 : बिस्कुट और कनफेक्शनरी के विनिर्माण के लिए केएएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स टिंबमेट इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, केएएसईजेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि वर्तमान आयात निर्यात नीति के अनुसार चीनी का अबाध रूप से निर्यात किया जा सकता है। इसलिए, अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट अनुमोदन समिति के स्तर पर विचार करने के लिए प्रस्ताव को वापस उनके पास भेज दिया।

मद संख्या 46.27 : अनुमोदन पत्र के नवीकरण / विस्तार में संशोधन के लिए मैसर्स मिलक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, केएएसईजेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने बताया कि यूनिट कच्चा माल के रूप में एसईजेड में स्थित अन्य यूनिटों द्वारा सृजित अपशिष्ट का प्रयोग कर रही है और कोई डीटीए प्रापण नहीं है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की कि किसी प्लास्टिक स्क्रैप का आयात नहीं किया जाएगा।

मद संख्या 46.28 : तीसरे पक्ष (भारतीय एवं विदेशी) के विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित डिफेक्टिव गियर बॉक्स यूनिटों की मरम्मत / रिकंडीशनिंग आदि करने के लिए मैसर्स हैंसेन ड्राइव्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने गियर बॉक्स की मरम्मत / रिइंजीनियरिंग की तृतीय पक्ष गतिविधि के लिए यूनिट के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने स्पष्ट किया कि मरम्मत / रिइंजीनियरिंग की ऐसी गतिविधियां केवल भारत के बाहर से आयातित गियर बॉक्स पर

संचालित की जाएंगी तथा यह इस शर्त के अधीन होगा कि अपशिष्ट, स्क्रैप आदि सहित मरम्मत किए गए गियर बॉक्स का एसईजेड नियमावली के नियम 18 (4) (घ) के अनुसार पुन: निर्यात किया जाएगा। डीटीए से गियर बॉक्स आदि की मरम्मत / रिइंजीनियरिंग की कोई गतिविधि अनुमत नहीं है।

मद संख्या 46.29 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरूद्ध मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच जो एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुंबई की एक यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अपीलकर्ता के अनुरोध पर अतीत में कई बार आस्थगन की अनुमति प्रदान किए जाने के बावजूद अपनी अपील को प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं हुआ। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड को यह भी सूचित किया कि अपील में कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया।

(ii) अधिकृत प्रचालनों के अंग के रूप में व्यापार की गतिविधि को शामिल करने के लिएएलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, एमईपीजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स हंसेन ड्राइव्स लिमिटेड जो सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एसईजेड, तमिलनाडु की एक यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया। तथापि, विचार विमर्श के बाद अपील अस्वीकार कर दी गई क्योंकि फर्म के पास एसईजेड रूपरेखा से बाहर इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सीधे चैनल उपलब्ध हैं।

(iii) डीटीए में अपशिष्ट एवं स्क्रैप जो अपीलकर्ताओं के कारखाने में जेनरेटर / कंट्रोल पैनल की मरम्मत / रिइंजीनियरिंग तथा रिकंडिशनिंग से उत्पन्न होते हैं, को हटाने के अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, एमपीईजेड एसईजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स एसई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया। चूंकि किया गया अनुरोध एसईजेड नियमावली के प्रावधानों के तहत अनुमत नहीं है, इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील अस्वीकार कर दी।

मद संख्या 46.30 : कांडला एसईजेड में प्लास्टिक रीप्रोसेसिंग सेक्टर को जारी किए गए मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिटों के लिए नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक इस मद को आस्थगित कर दिया।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 46.31 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) राचेनहल्ली एवं नगवारा गांव, होबली, आउटर रिंग रोड, जिला बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स स्टाइलस कामर्सियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

नोट किया गया कि मुख्य रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को स्थान किराए पर देने के लिए उक्त क्षेत्र में इंटीरियर तथा फिट आउट के विकास के लिए 21,696 वर्गफीट के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि हालांकि एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली यूनिट के रूप में भी प्रचालन करने के लिए सह विकासक पर रोक नहीं लगता हैं परंतु ऐसे मामले हो सकते हैं जहां क्षेत्र का विकास करने के बाद स्वयं विकासक यूनिट के रूप में इस प्रकार विकसित स्थान के पर्याप्त भाग पर कब्जा कर ले। हालांकि यूनिट तथा सह विकासक से अलग खाते रखने की आवश्यकता होती है परंतु ऐसी व्यवस्था में सकारात्मक एनएफई की यूनिट की बाध्यता को कम करने के लिए यूनिट द्वारा खरीदे गए पूंजी माल को सह विकासक पर लोड करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने स्वीकार किया कि ऐसी व्यवस्था तैयार करने की आवश्यकता है जिससे सुनिश्चित हो सकता है कि यूनिट तथा सह विकासक के कार्य पर्याप्त रूप से अलग हैं ताकि डबल डिपिंग से बचा जा सके जिससे राजस्व की संभावित क्षति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने ऐसी व्यवस्था तैयार करने के लिए सदस्य के रूप में सीबीडीटी और सीबीईसी के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त सचिव (एसईजेड), वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निदेश दिया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(ii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स थाउजैंड आईलैंड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स हिरिसे हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) और (iii) के संबंध में अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड की रिपोर्ट पर चर्चा की तथा पाया कि दो मौजूदा सह विकासक अर्थात मैसर्स इयान हिंजेवाड़ी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स डी बी हास्पिटलिटी ने अनुमोदित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि दो अतिरिक्त होटल परियोजनाएं अनुमोदित करने के लिए पर्याप्त औचित्य आवश्यक है, जब पहले से अनुमोदित परियोजनाएं शुरू हो नहीं पाई हैं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोधों को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 46.32 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

गुड़गांव, हरियाणा में आईटी एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित किए जाने वाले अधिकृत प्रचालनों में संशोधन / वृद्धि के लिए अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	गतिविधि / मद का नाम	मौजूदा अनुमोदन के अनुसार मात्रा	अनुरोध की गई तथा अनुमोदित की गई मात्रा
1.	विद्युत संयंत्र	50 मेगावाट	25 मेगावाट
2.	कुर्सी क्षेत्र के बराबर बेसमेंट	बेसमेंट पार्किंग	पार्किंग के स्थान पर भंडारण
3.	छोटा रसोई घर	शून्य	1000 वर्गमीटर
4.	क्रेच	शून्य	50 वर्गमीटर

मद संख्या 46.33 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

चिपाडा गांव, भिमिली मंडल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स दिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने की शर्त के अधीन एसईजेड के पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में 17.648 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स दिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 46.34 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

ए-3, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 20.2345 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बंगाल शपूरजी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने ए-3, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 20.2345 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बंगाल शपूरजी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 46.35 : ग्राम विंग एवं गुठालवाडी, तहसील खंडाला, जिला सतारा, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स पुणे हाइटेक इनफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2009 को समाप्त हो चुकी है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 109.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम विंग एवं गुठालवाडी, तहसील खंडाला, जिला सतारा, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स पुणे हाइटेक इनफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 46.36 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

शिरपुर, सूरत, जिला धूलिया, महाराष्ट्र में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 20 जून, 2011 तक विकासक के औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 46.37 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 2 विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) ग्राम नगवारा, बंगलौर उत्तर तालुक, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कार्ले इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) श्रीपेरम्बदूर, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स वेलांकनि टेक्नोलॉजी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 46.38 : औपचारिक अनुमोदनों की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 05 विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) केआर पुरम, बंगलौर उत्तर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स बैगमाने बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) हाइटेक सिटी, माधापुर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 19 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

(iii) नंदगांवपेठ, जिला अमरावती, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 अप्रैल, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

(iv) क्रुशनूर, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 04 अप्रैल, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

(v) अतिरिक्त लातुर, जिला लातुर, महाराष्ट्र में कृषि प्रसंस्करण उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 04 अप्रैल, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि विभिन्न प्रस्तावों के तहत बाध्यताओं को पूरा करने की गति तेज करने के लिए एमआईडीसी को निदेश देने हेतु मुख्य सचिव, महाराष्ट्र को पत्र लिखा जाए।

मद संख्या 45.39 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि चौथी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) रेवास, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 2850 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स रेवास पोर्ट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि भविष्य में इस परियोजना के आरंभ होने की संभावना नहीं है क्योंकि विकासक ने परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण शुरू नहीं किया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद 4 साल बीत जाने के बावजूद विकासक भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पाया है।"

मद संख्या 46.40 : तीसरे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा चरण 2, हिंजेवाड़ी, पुणे में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए जारी किए गए अनुज्ञप्ति पत्रों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि विकासक एमआईडीसी द्वारा की गई प्रगति बुनियादी अवसंरचना के विकास की दृष्टि से बहुत धीमी है जो प्रचालन शुरू करने के लिए यूनिटों के लिए आवश्यक है। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एसईईपीजेड के को राज्य सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने का निदेश दिया। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए निम्नलिखित यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई :

क्र. सं.	यूनिट का नाम	एलओपी की बढ़ाई गई वैधता अवधि समाप्त होने की तिथि
1.	पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स लिमिटेड	04 फरवरी, 2012
2.	फुलक्रम लॉजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	27 फरवरी, 2012
3.	नीलसॉफ्ट लिमिटेड	06 फरवरी, 2012
4.	क्लासॉफ्ट लिमिटेड	04 सितंबर, 2012
5.	ओमनीटेक इंफो सोल्यूशंस लिमिटेड	04 सितंबर, 2012

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र को पत्र भी लिखा जा सकता है।

मद संख्या 46.41 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 19 जुलाई 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स वोकार्ड लिमिटेड जो एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में मैसर्स वोकार्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे फर्मास्युटिकल एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 19 जुलाई, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(i) 29 मई 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 29 मई, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को यूनिट की प्रगति की निगरानी करने का निदेश दिया।

(iii) 31 मार्च, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हैंगर्स प्लस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड, चेन्नई की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 31 मार्च, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 46.42 : पांचवे साल के बाद यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 31 मार्च, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इंटरनेशनल बेल्टिंग लिमिटेड जो फाल्टा एसईजेड, कोलकाता की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 सितंबर, 2011 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 46.43 : चारदीवारी के निर्माण के लिए अनुरोध

(i) ग्राम भोकरपाड़ा, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र ने सेवा क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में चार प्रवेश / निकास विंडो के लिए मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने टिप्पणी की कि 139.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल वाले एसईजेड के लिए प्रवेश / निकास के चार फाटकों का कोई औचित्य नहीं है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड की भी यह राय थी कि चूंकि एसईजेड में विकास की गति बहुत धीमी है इसलिए विकासक का अनुरोध असामयिक है। जहां तक चारदीवारी के मुद्दे का संबंध है, विकास आयुक्त ने इसकी जांच के लिए कुछ अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त, एसईईपीजेड को दोनों मुद्दों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया।

मद संख्या 46.44 : एक एसईजेड से यूनिट को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) सिलोखेड़ा, डीएलएफ सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट मैसर्स असेंचर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एएसपीएल) का अपना लोकेशन मैसर्स गुड़गांव इनफो स्पेस लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में शिफ्ट करने के लिए अनुरोध

विकास आयुक्त, एनएसईजेड को प्रस्ताव पर मैसर्स असेंचर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ चर्चा करने, प्रस्ताव के सभी पहलुओं की जांच करने और एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में यूनिट की प्रस्तावित शिफ्टिंग के प्रभावों के बारे में उनको अवगत कराने का निदेश दिया गया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 46.45 : तालुक शिरूर और खेड़, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड के संबंध में डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित डीजल / ईंधन की ड्यूटी फ्री खरीद के लिए मैसर्स खेड़ इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि इस मद पर टिप्पणियां प्रदान करने के लिए उनको कुछ और समय की आवश्यकता है। तद्नुसार, अगली बैठक के लिए अनुरोध आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 46.46 : निषिद्ध मदों के आयात के लिए एसईजेड की यूनिटों का अनुरोध

(ii) चर्बी / चर्बी तेल के आयात के लिए अत्च्युतापुरम मंडल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में एपीआईआईसी एसईजेड की यूनिट मैसर्स साउदर्न आनलाइन बायो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन बायोडीजल के निर्माण के लिए प्रयुक्त कुकिंग ऑयल के आयात के लिए यूनिट के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

1) आयातित कुकिंग ऑयल का प्रयोग केवल बायोडीजल के निर्माण और उसके निर्यात के लिए किया जाएगा।
2) कोई डीटीए लेनदेन अनुमत नहीं होगा।

अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि विकास आयुक्त यूनिट द्वारा उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन का सुनिश्चय करेंगे।

मद संख्या 46.47 : प्लास्टिक प्रसंस्करण यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स अमरनाथ एनवायरोप्लास्ट लिमिटेड जो एफएसईजेड की एक यूनिट है, के एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिटों के संबंध में नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक अंत:कालीन व्यवस्था के रूप में 15 जुलाई 2011 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 46.48 : प्रवेश कर के संबंध में देयता के बारे में केन्द्रीय बिक्री अधिनियम 1956 के तहत फार्म 1 के निरसन पर उत्पन्न देयता के संबंध में बांड / बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए मैसर्स जेएसएल लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, फाल्टा ने सूचित किया कि मैसर्स जेएसएल लिमिटेड कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, निर्यात लाभ के प्रतिदाय (डीईपीबी) तथा प्रवेश कर की मद में 101.60 करोड़ रुपए की देय राशि का भुगतान कर चुका है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि विकासक ने पुष्टि की है कि कंपनी ने आई-फार्म का प्रयोग करके विकासक के रूप में 4.11 करोड़ रुपए तथा यूनिट के रूप में 2.29 करोड़ रुपए का सीएसटी लाभ प्राप्त किया है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट की डिबांडिंग के प्रस्ताव को भी भुवनेश्वर में 23 मई 2011 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में लिया गया था। बैठक में सूचित किया गया कि विकासक तथा यूनिट ने 158 आई-फार्म का उपयोग किया है जिससे 6.40 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है जिसमें से वे 4.40 करोड़ रुपए का भुगतान करने के रूप में आपूर्तिकर्ता की ओर से देयताओं के निर्वहन के बाद विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से 101 आई-फार्म एकत्र करने में समर्थ हुए हैं और उसके कार्यालय में 101 आई-फार्म जमा कराए हैं। शेष 57 आई-फार्म जिनके लिए सी-फार्म के विरुद्ध 2 प्रतिशत की दर से सीएसटी के लिए देयता 1.99 करोड़ रुपए बनती है, अभी तक अपाकृत नहीं हुए हैं। विकासक ने सूचित किया है कि आई-फार्म एकत्र करने में उसे 4-5 महीने का समय लगेगा क्योंकि ये कई राज्यों से संबंधित हैं। विकास आयुक्त ने

प्रस्ताव किया कि यूनिट की डिबांडिंग तथा विकासक के विमुक्तीकरण दोनों के लिए 6 माह की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए की देयता के विरुद्ध 5 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी ली जा सकती है।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 नवंबर 2011 तक पांच करोड़ रुपए की बैंक गारंटी के माध्यम से कंपनी की देयता को मुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की कि यदि कंपनी 6 माह की उपर्युक्त अवधि के अंदर 2 करोड़ रुपए की राशि लौटाने में असफल होती है तो बकाया राशि की वसूली के लिए 5 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी का सहारा लिया जाएगा।

******